[2017] 7 एससीआर 755

अशोक कुमार और अन्य।

v. झारखंड राज्य और अन्य।

(2018 की सिविल अपील संख्या 877) 11 मई, 2018

[जे चेलमेश्वर और संजय किशन कौल, जेजे।

झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियम, 2004 – आर.आर. 21, 22 और 27 - न्यायिक अधिकारियों को "उच्च श्रेणी" की हिंदी परीक्षा में सफल होने तक वेतन वृद्धि का लाभ देने से इनकार - चुनौती दी गई - 2001 के नियम 22 में विभागीय परीक्षा नियमों द्वारा निर्धारित समय-समय पर परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है - जब 2004 के नियम अधिनियमित किए गए थे, तो वे पहले के सभी नियमों के सुपर-सेशन में थे और 2001 के नियमों को विशेष रूप से 2004 के नियम 1.27 के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। 2004 - इस प्रकार, 2004 के नियमों के प्रारंभ से पहले की स्थिति समाप्त हो गई थी - 2004 के नियमों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उक्त नियम झारखंड न्यायिक सेवा के सदस्यों के चयन, भर्ती और नियुक्ति और उनकी सेवा के नियमों और शर्तों को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए अभिभावी होंगे - 2004 के नियमों के नियम.21 (बी) ने यह भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक अकादमी द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देशों और मार्गदर्शन के तहत आयोजित की जाने वाली परीक्षा को सफल उत्तीर्ण करना, प्रशिक्षुओं की स्थायीकरण के लिए "एक मात्र" पूर्व शर्त होगी - इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2004 के नियम स्पष्ट हैं अर्थात यह नियम एक मात्र अभिभावी हैं और यथापरिवर्तित इन नियमों में "उच्च ग्रेड" हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता का प्रावधान नहीं किया गया था - 2004 के नियमों के अनुसार प्रचलित कानूनी स्थिति में हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2004 के नियमों में 1963 के बिहार नियमों को पढ़ा नहीं जा सकता है। इसलिए, हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य मानने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है– झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियम, 2001 - न्यायिक सेवा ।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने धारित किया :

आक्षेपित आदेश के तर्क को बनाए नहीं रखा जा सकता है और न ही इसे 2004 के नियमों में पढ़ा जा सकता है कि "उच्च ग्रेड" हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता है।

755, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 7 एस.सी.आर.

2001 के नियमों के लागू होने तक इस स्थिति को लेकर कोई विवाद नहीं है। ऐसा 1963 के बिहार नियमों के मद्देनजर है जो 2000 के अधिनियम द्वारा झारखंड राज्य के निर्माण पर लागू होते हैं। 2001 के नियमों में हिंदी विभागीय परीक्षा की मंजूरी की भी परिकल्पना की गई थी, जो 1963 के बिहार नियमों का संदर्भ था। तथापि, जब 2004 के नियम अधिनियमित किए गए , तब पहले के सभी नियमों को अधिक्रमित कर दिया गया और 2004 के नियमों के नियम 27 के तहत 2001 के नियमों को विशेष रूप से निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार, 2004 के नियमों के प्रारंभ से पहले की स्थिति समाप्त हो गई। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी पूर्व शर्त को नहीं बनाया जा सकता है। नियुक्ति अधिसूचनाओं में भी, पैरा 2 के अनुसार, झारखंड सेवा (भर्ती) विनियम, 2005 में नियम 21 और 22 में यथा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता का भी उल्लेख करती हैं, जिन्हें वास्तव में 2004 के नियमों को पढ़ना चाहिए, जिन्हें 31-3-2005 को प्रकाशित किया गया था। यथापरिवर्तित इन नियमों ने यह निर्धारित किया कि परीक्षा का सफल उत्तीर्ण होना प्रशिक्षुओं की स्थायीकरण के लिए "एक मात्र" शर्त होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक और शर्त है कि उच्च न्यायालय किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए शर्त निर्धारित कर सकता है, लेकिन तब उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता की शर्त नहीं थी, बल्कि तब उच्च न्यायालय ने नियमों की व्याख्या करने का अनुसरण किया कि क्या 2001 के नियमों के प्रावधान के अनुसार 1963 के बिहार नियमों के तहत हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रावधान को 2004 के नियमों में भी पढ़ा जाना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई अपोषणीय है। [पैरा 21, 22 और 23] [762-जी-एच; 763-बी-डी]

रतन लाल एंड कंपनी और एनआर वी असेसिंग अथॉरिटी, पटियाला और आंध्र प्रदेश [1969] 2 एससीआर 544 - को संदर्भित किया गया।

केस लॉ रेफरेंस[1969] 2 एससीआर 544 पैरा 15 को संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल अपील संख्या 877 ।

2014 के डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 5186 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 03.03.2016 के निर्णय और आदेश से।

अमित गुप्ता, सुश्री मानसी कुकरेजा (मेसर्स मित्तर एंड मित्तर कंपनी के लिए), तपेश कुमार सिंह, मो. वाक्वास, आदित्य प्रताप सिंह, चंद्र भूषण प्रसाद, अधिवक्तागण उपस्थित पक्षकारों की ओर से ।

अशोक कुमार बनाम झारखंड राज्य

न्यायालय का निर्णय संजय किशन कौल, जे. 1 द्वारा सुनाया गया ।

झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियम, 2004 (जिसे बाद में '2004 के नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) दिनांक 31.3.2005 को 4.4.2005 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके विरचित किया गया था। प्रस्तावना का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार निकाला गया है:

"अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और कानून के सभी प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, और इस विषय पर पहले के सभी नियमों को अधिक्रमित करते हुए, झारखंड के राज्यपाल, झारखंड उच्च न्यायालय और झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद, झारखंड न्यायिक सेवा के सदस्यों का चयन, भर्ती और नियुक्ति करने और उनकी सेवा के नियमों और शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने की सहर्ष स्वीकृति देते है।"

2. इस प्रकार, नियमों में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि वे इस विषय पर पहले के सभी नियमों को अधिक्रमित कर रहे थे। 2001 के पहले के नियमों को विशेष रूप से 2004 के नियमों के नियम 27 के संदर्भ में निरस्त कर दिया गया था, जो निम्नानुसार है:

"27. निरसन व व्यावृतियां: (i) झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 2001 जो दिनांक 20 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं 185 से जारी हुयी थी, को निरस्त किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के बावजूद, 2001 के नियमों के तहत की गई कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तहत की गई मानी जाएगी और 2001 के नियमों के अनुसार शुरू की गई कोई भी चयन प्रक्रिया या नियुक्तियां इन नियमों के तहत की गई मानी जाएंगी।"

3. नियुक्ति उचित प्रक्रिया के बाद की जानी थी और 2004 के नियमों के नियम 21 के अनुसार, न्यायिक अकादमी के साथ अनिवार्य एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि की परिकल्पना की गई थी, जिसके बाद प्रशिक्षुओं को उच्च न्यायालय के निर्देशों और मार्गदर्शन के तहत न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में उपस्थित होना था। 2004 के नियमों का संगत खंड 21 (ख) निम्नानुसार हैः

"21(बी) नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, या ऐसी अन्य तारीख से, जिसे उच्च न्यायालय निर्धारित करे, कि सिविल जज, जूनियर डिवीजन (मुंसिफ)/सिविल

जज, सीनियर डिवीजन (सबऑर्डिनेट जज) को रांची में झारखंड की न्यायिक अकादमी या ऐसे अन्य स्थान पर एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा, जो उच्च न्यायालय निर्धारित करे। एक वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद, सिविल जज, जूनियर डिवीजन (मुंसिफ), प्रशिक्षु सिविल जज, सीनियर डिवीजन (सबऑर्डिनेट जज) – प्रशिक्षु उच्च न्यायालय के निर्देशों और मार्गदर्शन के तहत न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में उपस्थित होंगे और इस परीक्षा का सफल उत्तीर्ण होना ही प्रशिक्षुओं की सिविल जज, जूनियर डिवीजन (मुंसिफ)/सिविल जज, सीनियर डिवीजन (सबऑर्डिनेट जज) के रूप में स्थायीकरण के लिए शर्त होगी।"
(बल दिया गया)

4. इसका प्रभाव यह हुआ कि इस परीक्षा को 'एक मात्र' पास करना स्थायीकरण के लिए एक पूर्व शर्त थी।

5. प्रशिक्षण अवधि की अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन दो वर्ष से अधिक नहीं, और ऐसे प्रशिक्षु, जिन्होंने उपरोक्त नियम में अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, उनके प्रत्यावेदन पर, उच्च न्यायालय उपयुक्त रूप से परीक्षा देने का एक और मौका दे सकता है। 2004 के नियमों के नियम 22 के तहत परिकल्पित कुल परिवीक्षा अवधि नियुक्ति की तारीख से शुरू होने वाली तीन वर्ष है। तथापि, इस अवधि को उच्च न्यायालय द्वारा अलग-अलग मामलों में बढ़ाया जा सकता है, जो उनके प्रदर्शन और उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अन्य पैरामीटरों पर निर्भर करता है या सेवा के दौरान ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर जो उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

6. जहां तक इस न्यायालय के समक्ष विवाद का संबंध है, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि पहले के 2001 के नियम वर्तमान के नियम 22 में निर्दिष्ट संदर्भ में थोड़ा अलग थे, जो निम्नानुसार है:

"22. इन नियमों में निहित के विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, अस्थायी आधार पर नियुक्त मुंसिफ इस शर्त के अधीन किसी भी ऊपरी आयु सीमा के बिना सेवा में स्थायी नियुक्ति के लिए पात्र होगा कि:

(i) उसने अपनी पहली नियुक्ति की तारीख से दो साल की सेवा पूरी कर ली है;

अशोक कुमार बनाम झारखंड राज्य

[संजय किशन कौल, जे।]

(ii) उसने ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं जो विभागीय परीक्षा नियमों में समय-समय पर निर्धारित की जा सकती हैं; और

(ii) ऐसी स्थायी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उसकी सिफारिश की जाती है।"

(बल दिया गया)

7. इस प्रकार, उपर्युक्त उपनियम को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस नियम में ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता थी जो "विभागीय परीक्षा नियमों" में समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है, 2004 के नियमों में ऐसा कोई संगत प्रावधान नहीं है।

8. यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि परिवीक्षा की अवधि के दौरान, ऐसा नहीं है कि स्थायीकरण के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कोई अतिरिक्त शर्तें निर्धारित की गई थीं। इस मुद्दे के संदर्भ में, स्थायीकरण के लिए राजस्व बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई थी, जो वर्तमान अपील में विवाद का कारण है।

9. इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं को अधिसूचनाओं के दो सेटों के माध्यम से भर्ती किया गया है - पहला दिनांक 5.1.2011; और दूसरा दिनांक 28.3.2011, भर्ती प्रक्रिया में सफल उम्मीदवार होने के नाते। इस प्रकार जारी की गई अधिसूचनाओं में, एक संगत पैरा 2 निम्नानुसार है:

" 2. नियुक्ति परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन होगी और परीक्षा अवधि और स्थायीकरण का विस्तार झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) विनियमन 2005 नियम 21 और 22 के अधीन होगा और झारखंड उच्च न्यायालय की संस्तुति के अनुसार होगा।"

10. उपरोक्त स्थिति के बावजूद, इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं को तीन साल की निरंतर सेवा के बाद स्थायीकरण नहीं किया गया। अपीलकर्ताओं ने इंडक्शन प्रोग्राम के अंत में न्यायिक अकादमी, झारखंड द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसका प्रत्यक्ष

कारण यह था कि वे राजस्व बोर्ड द्वारा आयोजित विभागीय हिंदी परीक्षा को पास नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं ने दिनांक 29.4.2014 को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें बार-बार सूचित किया गया था और सलाह दी गई थी कि उन्हें 2004 के नियमों के अनुसार हिंदी परीक्षा में भाग लेने से छूट दी गई थी और इस प्रकार, वे विभागीय हिंदी परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। हालांकि, इस अभ्यावेदन को उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया गया था: **सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 7 एस.सी.आर.**

"कुछ सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) के सेवा में उनके स्थायीकरण के संबंध में उनके अभ्यावेदन पर विचार करने और इस न्यायालय द्वारा वेतन वृद्धि प्राप्त करने के बाद, मुझे यह सूचित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वारा हिंदी परीक्षा के साथ-साथ विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना झारखंड न्यायिक सेवा भर्ती नियम 2004 के नियम 21 (बी), बिहार सरकारी सेवक (हिंदी परीक्षा) विनियमन, 1968 का नियम 7 और बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा नियमावली, 1963 का नियम 27 (ए) के अनुसार उनकी वेतन वृद्धि के साथ-साथ स्थायीकरण के लिए एक शर्त है।"

11. इस प्रकार, उत्तरदाताओं ने बिहार सरकारी सेवक (हिंदी परीक्षा) विनियमन, 1968 के नियम 7 के साथ पढ़े गए 2004 के नियमों के नियम 21 (बी) और बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा नियम, 1963 के नियम 27 (ए) (इसके बाद '1963 बिहार नियम' के रूप में संदर्भित) पर भरोसा किया। उत्तरार्द्ध निम्नानुसार है: "परीक्षा के लिए परिवीक्षाधीन अधिकारियों के दायित्व 27. (क) प्रत्येक परिवीक्षाधीन को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित है - (i) उच्च न्यायालय के सामान्य नियम और परिपत्र आदेश (आपराधिक और सिविल दोनों), जैसा कि इस नियम के उप-नियम (बी) में निर्धारित किया गया है। उच्च न्यायालय के सामान्य नियमों और परिपत्र आदेशों में परीक्षा विशेष रूप से परीक्षण करेगी कि परीक्षार्थी ने नियमों को लागू करने में किस हद तक व्यावहारिक सुविधा हासिल की है। (ii) इस नियम के उप-नियम (ग) में यथा निर्धारित प्रक्रियात्मक विधि और साक्ष्य विधि। (iii) इस नियम के परिशिष्ट-I में वर्णित निम्न और उच्चतर मानकों के अनुसार हिन्दी। (बल दिया गया)

12. स्वीकृत तथ्यात्मक स्थिति यह है कि झारखंड राज्य को 15-11-2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार बिहार राज्य से अलग किया गया था। 2001 के नियमों के नियम 22 में विभागीय परीक्षा नियमों द्वारा निर्धारित समय-समय पर परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता को संदर्भित किया गया है, जो यथापरिवर्तित 1963 के

बिहार नियमों का नियम 27 (ए) है। **अशोक कुमार बनाम झारखंड राज्य**

[संजय किशन कौल, जे।

13. उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत इस अस्वीकृति को रिट याचिकाएं दायर करके चुनौती दी गई थी, जिन्हें 3.3.2016 के सामान्य आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

14. अपीलकर्ताओं की ओर से, यह तर्क दिया गया था कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 84 और 85 के मद्देनजर, 1963 के बिहार नियमों को झारखंड के नव निर्मित राज्य में संचालित माना जाता है। हालांकि, यह स्थिति 2001 के नियमों के तहत प्रचलित थी, लेकिन जब 2004 के नियमों को तैयार करने के बाद 2001 के नियमों को निरस्त कर दिया गया, तो यह 2004 के नियम हैं, जो प्रभावी होंगे।

15. उच्च न्यायालय ने रतन लाल एंड कंपनी और अन्य बनाम आकलन प्राधिकरण, पटियाला और अन्य के न्यायिक निर्णय पर विचार किया, जहां यह मत व्यक्त किया गया था कि पुनर्गठन के बाद एक नए राज्य के निर्माण पर, मूल अधिनियम को नियत तारीख से पहले की तारीख से संशोधित नहीं किया जा सकता है और मूल अधिनियम प्रत्येक राज्य पर एक स्वतंत्र अधिनियम के रूप में लागू होगा और नए राज्य में उसके क्षेत्र के संबंध में मूल अधिनियम में संशोधन करने की विधायी क्षमता निहित है। इस प्रकार, एकीकृत बिहार राज्य में पहले से मौजूद कानून, उच्च न्यायालय के अनुसार यह मत व्यक्त किया गया कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत बनाए गए नए राज्य पर केवल तब तक लागू रहेंगे जब तक कि सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है। इस प्रकार, 2001 के नियमों में विशेष रूप से नियम 22 में विभागीय परीक्षा नियम, अर्थात 1963 बिहार नियमों द्वारा निर्धारित समय-समय पर परीक्षा लेने का प्रावधान है।

16. जहां तक 2004 के नियमों के नियम 27 का संबंध है, उसी ने 2001 के नियमों को निरसित कर दिया। आक्षेपित निर्णय में यह स्वीकार किया गया था कि 2004 के नियमों में 1963 के बिहार नियमों का कोई संदर्भ नहीं था और न ही 2001 के नियमों के नियम 22 (ii) के समान संदर्भ है। इस प्रकार यह मत व्यक्त किया गया कि 1963 के बिहार नियम, जो 2001 के नियमों पर लागू थे, को 2004 के नियमों द्वारा निष्क्रिय या प्रतिस्थापित या निरस्त नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, 2004 के नियमों के नियम 21 (बी) में 'एक मात्र' शब्द का उपयोग किया गया था, जिसका अर्थ यह नहीं था कि हिंदी परीक्षा को स्थायीकरण के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा नियंत्रण

माना गया, जो उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के लिए हिंदी परीक्षा और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त निर्धारित कर सके। इस प्रकार, हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य माना गया था। यह भी सम्प्रेक्षण दिया गया कि यह **(1969) 2 एससीआर 544**

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2018] 7 एससीआर है।

इस प्रकार ही है भले ही इससे अपीलकर्ताओं को कठिनाई हो सकती है, जो परीक्षा उत्तीर्ण करने तक वेतन वृद्धि पाने के हकदार नहीं होंगे।

17. उपरोक्त संदर्भ में उच्च न्यायालय ने केवल ऐसे अधिकारियों का स्थायीकरण किया जिन्होंने "उच्च ग्रेड" में हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

18. यह देखा जा सकता है कि कुछ व्यक्तियों ने "निम्न श्रेणी" के साथ हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसे विचार में नहीं लिया गया था।

19. बाद में तथ्यात्मक प्रगति यह है कि सभी अपीलकर्ताओं ने "उच्च ग्रेड" में परीक्षा उत्तीर्ण की है और इस प्रकार, उस हद तक यह अपील पोषित नहीं है। हालांकि, यह इस हद तक पोषणीय है कि अपीलकर्ताओं को वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित करने हेतु, जो उन्हें सेवा की निरंतरता के लिए देय है जब तक कि उन्होंने "उच्च ग्रेड" हिंदी में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की।

20. हमने झारखंड राज्य को विभिन्न तिथियों पर इस मुद्दे को सही परिपे्रक्ष्य से देखने का अवसर दिया है। तथापि, इसका कोई परिणाम नहीं निकला है और हमें इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आह्वान किया गया।

21. पक्षकारों के वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, हमारा विचार है कि आक्षेपित आदेश के तर्क को कायम नहीं रखा जा सकता है और न ही इसे 2004 के नियमों में पढ़ा जा सकता है जो "उच्च ग्रेड" हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता है।

22. 2001 के नियमों के प्रभावी रहने तक की स्थिति में कोई विवाद नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि 1963 के बिहार नियम, 2000 के अधिनियम द्वारा झारखंड राज्य के निर्माण पर लागू होते हैं। 2001 के नियमों में हिंदी विभागीय परीक्षा की उतीर्णता की भी परिकल्पना की गई थी, जो 1963 के बिहार नियमों का संदर्भ था। तथापि, जब 2004 के नियम अधिनियमित किए गए थे, तब वे पहले के सभी नियमों को अधिक्रमित कर रहे

थे और 2004 के नियमों के नियम 27 के तहत 2001 के नियमों को विशेष रूप से निरसित कर दिया गया था। इस प्रकार, 2004 के नियमों के प्रारंभ से पहले की स्थिति समाप्त हो गई। 2004 के नियम यह भी स्पष्ट करते हैं कि उक्त नियम झारखंड न्यायिक सेवा के सदस्यों के चयन, भर्ती और नियुक्ति और उनकी सेवा के नियमों और शर्तों को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए अभिभावी होंगे। 2004 के नियमों के नियम 21 (बी) में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा का सफल उत्तीर्ण होना प्रशिक्षुओं के स्थायीकरण के लिए "एक मात्र" शर्त होगी। इससे 2004 के नियमों के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता है, अर्थात वे अकेले ही अभिभावी हैं और **अशोक कुमार बनाम झारखंड राज्य**

[संजय किशन कौल, जे]
परिवर्तन उपरान्त उनमें राजस्व बोर्ड द्वारा "उच्च ग्रेड" हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता का प्रावधान नहीं किया था।

23. हम यह स्पष्ट करते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के निर्धारित नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। तथ्य यह है कि ऐसा कोई निर्धारित नियम नहीं बनाया गया है। नियमों में ही इस तरह के निर्धारित नियम को शामिल करने के लिए हमेशा विकल्प खुला था। नियुक्ति अधिसूचनाएं, पैरा 2 के अनुसार, झारखंड सेवा (भर्ती) विनियम, 2005 में नियम 21 और 22 में यथा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता का भी उल्लेख करती हैं, जिन्हें वास्तव में 2004 के नियम पढ़ना चाहिए, जिन्हें 31-3-2005 को प्रकाशित किया गया था। यथापरिवर्तित इन नियमों ने यह निर्धारित किया कि परीक्षा का सफल उत्तीर्ण होना प्रशिक्षुओं के स्थायीकरण के लिए "एक मात्र" शर्त होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक और शर्त है कि उच्च न्यायालय किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित कर सकता है, लेकिन तब उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता निर्धारित नहीं की गयी है, बल्कि तब उच्च न्यायालय ने नियमों की व्याख्या करने का प्रयास किया कि 2001 के नियमों के प्रावधान के अनुसार 1963 के बिहार नियमों के तहत हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रावधान को 2004 के नियमों में भी पढ़ा जाना चाहिए। इस तरह की कार्यवाही अरक्षणीय है।

24. इस प्रकार, हमारा विचार है कि 2004 के नियमों के अनुसार प्रचलित कानूनी स्थिति में राजस्व विभाग द्वारा आयोजित हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1963 के बिहार नियमों को 2004 के नियमों में नहीं पढ़ा जा सकता है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादियों के लिए 2004 के नियमों में संशोधन करना हमेशा खुला है, यदि वे इस तरह की शर्त को शामिल करना चाहते हैं या उच्च न्यायालय स्वयं

इसे निर्धारित करके उस उद्देश्य की दिशा में हिंदी परीक्षा आयोजित कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदी भाषा में प्रवीणता संभवतः झारखंड राज्य में आयोजित न्यायिक कार्यों से उत्पन्न एक आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से, इस मामले में जैसा कि ऊपर देखा गया है, सभी अपीलकर्ताओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और इस प्रकार, उन्हें उस अवधि के लिए भी वेतन वृद्धि और अन्य अनिवार्य लाभों का लाभ देने का एकमात्र सवाल है जब उन्होंने हिंदी परीक्षा में "उच्च ग्रेड" उत्तीर्ण नहीं किया था।

25. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रतिवादियों के रुख के एक और प्रभाव को भी इंगित किया है, अर्थात्, यद्यपि अपीलकर्ता वर्ष 2011 में शामिल हुए थे और इस प्रकार, पुरानी पेंशन योजना के तहत आए थे, यदि उत्तरदाताओं ने जो कहा है उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो उनकी बाद के स्थायीकरण के परिणामस्वरूप उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत नहीं बल्कि नई अंशदायी पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा। जो दिनांक 22.12.2013 की अधिसूचना के अनुसार लागू हुआ। **सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस [2018] 7 एस.सी.आर.**

26. इस प्रकार, हम यह भी मानते हैं कि अपीलकर्ता वर्ष 2011 में सेवा में उनके प्रवेश से संबंधित पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर किए जाने के हकदार होंगे।

27. उत्तरदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपीलकर्ताओं को अनिवार्य लाभ का अंतर प्रदान किए जाएं।

28. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है, पक्षकार अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

देविका गुजराल - अपील को स्वीकार किया गया।

अनुवादकर्ताः- श्री निर्दोष कुमार, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली।